

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सौरभ शेखावत बनाम लो.सू.अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) सू.अ.अ.अपील सं० 156 / 2023 (ऑनलाईन नं.353581816288828)	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	<p>अपीलार्थी सौरभ शेखावत, निवासी प्लॉट नं. 13, ब्लॉक ई, नारायण सिटी, हाथोज जयपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.06.23. में उसके द्वारा (1) ग्राम बिराई के जागीरदार श्री पूनमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत की मृत्यु कब हुई बताए व उनके वारिसान कौन हैं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 290 दिनांक 28.07.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि इस कार्यालय के पत्रांक 213-214 दिनांक 06.07.23 के जरिये प्रार्थी को सूचित किया गया कि ग्राम बिराई तहसील भोपालगढ के क्षेत्राधिकार में नहीं है तथा जन्म मृत्यु का पंजीकरण इस कार्यालय में नहीं होता है। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि ग्राम बिराई तहसील क्षेत्र बावड़ी के अन्तर्गत होने से इस पत्र की प्रति मय आवेदन के लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बावड़ी को स्थानान्तरित किया गया।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत है कि तहसील कार्यालय में जन्म मृत्यु पंजीयन नहीं होता है अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	



(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर जोधपुर

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)